मध्यप्रदेश विधान सभा

(चतुर्दश विधान सभा)

शासकीय आश्वासनों संबंधी समिति

का

सत्रहवां प्रतिवेदन

(नवम्बर-दिसम्बर, 2004 सत्र से संबंधित)

(यह प्रतिवेदन 28 जुलाई, 2016 को सदन में प्रस्तुत.)

विषय सूची

क्रमांक (1)	विषय (2)	पृष्ठ संख्या (3)
1.	**समिति का गठन**	एक
2.	**प्रस्तावना**	दो
3.	**प्रतिवेदन में सम्मिलित विभागवार आश्वासनों की सूची**	तीन
4.	**विभागों के नाम:-**	
	(1) वाणिज्य, उद्योग और रोजगार	01
	(2) पंचायत एवं ग्रामीण विकास	02
	(3) गृह(पुलिस)	05
	(4) ऊर्जा	08
	(5) जल संसाधन	09
	(6) खेल एवं युवक कल्याण	10
	(7) सहकारिता	11
	(8) वन	13
	(9) राजस्व	14
	(10) खनिज साधन	15
	(11) नगरीय प्रशासन एवं विकास	16
	(12) लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	19
	(13) लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	21
	(14) स्कूल शिक्षा	22
5.	**परिशिष्ट - 1 (नवम्बर-दिसम्बर, 2004 सत्र के पूर्व प्रतिवेदनों में सम्मिलित आश्वासनों की सूची)**	24

शासकीय आश्वासनों संबंधी समिति का गठन
(वर्ष 2016-17)

<u>सभापति</u>

1. डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय.

<u>सदस्यगण</u>

2. श्री राजेश सोनकर
3. श्री सूबेदार सिंह रजौधा
4. श्री रामेश्वर शर्मा
5. श्री के.के.श्रीवास्तव
6. श्री दुर्गालाल विजय
7. श्री हजारी लाल दांगी
8. डॉ. योगेन्द्र निर्मल
9. श्री यादवेन्द्र सिंह
10. श्री मनोज कुमार अग्रवाल
11. श्री सोहनलाल बाल्मीक

<u>विधान सभा सचिवालय</u>

1.	श्री ए.पी.सिंह	. .	प्रमुख सचिव
2.	श्री पी.एन.विश्वकर्मा	. .	अपर सचिव
3.	श्री बी.डी.सिंह	. .	उप सचिव
4.	श्री आर.के.गुप्ता	. .	अवर सचिव
5.	श्री शिवप्रसाद बुन्देला	. .	अनुभाग अधिकारी.

प्रस्तावना

मैं, शासकीय आश्वासनों सम्बन्धी समिति का सभापति, समिति की ओर से प्राधिकृत होकर समिति का सत्रहवां प्रतिवेदन (चतुर्दश विधान सभा) सदन के समक्ष प्रस्तुत करता हूं ।

2. यह समिति मध्यप्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 224(1) के अन्तर्गत 28 अप्रैल, 2016 को गठित की गई है।

3. इस प्रतिवेदन में नवम्बर-दिसम्बर, 2004 सत्र में विधान सभा में मा.मंत्रिगणों द्वारा सदन में दिये गये आश्वासनों को सम्मिलित किया गया है। वर्णित सत्र में मा.मंत्रियों द्वारा शासन के विभिन्न विभागों से संबंधित कुल 146 आश्वासन दिये गये थे, जिनमें से 109 आश्वासनों का निराकरण द्वादश विधान सभा के विभिन्न प्रतिवेदनों में किया जा चुका है। इस प्रकार शेष 37 आश्वासनों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही का परीक्षण कर विभागीय अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव का मौखिक साक्ष्य लिया गया तथा विचारोपरान्त आश्वासनों को इस सत्रहवें प्रतिवेदन में शामिल करने का निर्णय लिया गया।

4. समिति की बैठक दिनांक 27 जुलाई, 2016 में समिति द्वारा उक्त प्रतिवेदन के प्रारूप पर विचार कर अंगीकृत किया गया।

5. समिति के सभी माननीय सदस्यों का मैं व्यक्तिगत रूप से भी आभार व्यक्त करता हूं, जिनका सहयोग मुझे प्रत्यक्ष रूप से मिला है।

6. समिति प्रतिवेदन में सम्मिलित सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों/कर्मचारियों के प्रति भी आभार व्यक्त करती है, जिन्होंने यथासमय विभागीय कार्यवाही एवं जानकारी प्रेषित कर सहयोग प्रदान किया।

7. समिति विधान सभा सचिवालय के अधिकारियों/कर्मचारियों के प्रति आभार व्यक्त करती है, जिन्होंने समिति के कार्य में निरंतर सहयोग प्रदान किया।

डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय
सभापति
शासकीय आश्वासनों संबंधी समिति

स्थान :- भोपाल
दिनाक:- 27 जुलाई, 2016

प्रतिवेदन में सम्मिलित विभागवार आश्वासनों की सूची

क्र.	विभाग का नाम	आश्वासन क्रमांक
1.	वाणिज्य, उद्योग और रोजगार	01
2.	पंचायत एवं ग्रामीण विकास	14, 20, 21, 123
3.	गृह(पुलिस)	29, 32, 34, 36, 42, 43
4.	ऊर्जा	48, 52, 53
5.	जल संसाधन	57, 59
6.	खेल एवं युवक कल्याण	64
7.	सहकारिता	79, 81
8.	वन	84, 85
9.	राजस्व	87, 88, 89
10.	खनिज साधन	90, 96
11.	नगरीय प्रशासन एवं विकास	99, 100, 102, 105
12.	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	109
13.	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	116, 121
14.	स्कूल शिक्षा	125, 133, 134, 142

नवम्बर-दिसम्बर, 2004 सत्र
वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग

स.क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या, प्रश्न क्रमांक, दिनांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	समिति का अभिमत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	01	ता.प्र.सं.16 (क्र.237) दि. 07.12.2004	म.प्र.राज्य औद्योगिक विकास निगम द्वारा दिये गये ऋण की वसूली में की गई अनियमितता पर कार्यवाही की जाना।	हम गिरफ्तारी जरूर करेंगे।	आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ से प्राप्त जानकारी के अनुसार उनके द्वारा 5 आरोपियों के विरूद्ध प्रथम पूरक चालान दिनांक 24.9.2007 को 7 आरोपियों के विरूद्ध द्वितीय पूरक चालान दिनांक 23.6.208 को 2 आरोपियों के विरूद्ध तृतीय पूरक चालान दिनांक 25.2.2009 को जी.के.एग्जिम के विरूद्ध चतुर्थ पूरक चालान दि.07.5.2010 को मेसर्स पशुमई इंटीग्रेशन के विरूद्ध पंचम पूरक चालान दिनांक 25.2.2011 को माननीय विशेष न्यायालय भोपाल में प्रस्तुत किये गये हैं। शेष 29 आरोपी कंपनियों के विरूद्ध विवेचना जारी है। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **एफ 12-105/2012/बी-ग्यारह, दिनांक 31.07.2014**	समिति इस निर्देश के साथ प्रकरण समाप्त करती है कि शेष 29 आरोपी कंपनियों के विरूद्ध विवेचना शीघ्र पूर्ण कर विभाग आगामी कार्रवाई करे।

नवम्बर-दिसम्बर, 2004 सत्र
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

स.क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या, प्रश्न क्रमांक, दिनांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	समिति का अभिमत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2.	14	प्र.सं. (क्र.44) दि. 07.12.2004	जिला पंचायत रीवा द्वारा ग्रामीण रोजगार योजना मद से स्वीकृत कार्य में अनियमितता की जांच एवं कार्यवाही।	स्पष्टीकरण प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी समयावधि बताया जाना संभव नहीं है।	संबंधित अधिकारियों से स्पष्टीकरण प्राप्त कर नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **10209/वि.स./22/वि-7/ग्राआ/2005, दि.20.07.2005** समिति द्वारा सतत् परीक्षण उपरांत इस सचिवालय के पत्र क्रमांक 15888/वि.स./आश्वा./2007, दिनांक 23.07.2007 एवं स्मरण पत्र दिनांक क्रमश: 06.09.2008,09.06.2009, 20.01.2011, 14.12.2012, 11.07.2013 के द्वारा निम्नांकित अद्यतन जानकारी चाही गई थी :- ***अधिकारियों से प्राप्त स्पष्टीकरण की जानकारी।*** ***<u>अद्यतन जानकारी :-</u>*** जिला पंचायत रीवा से प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार जांच कार्य प्राथमिक रूप से जिला स्तर से पूर्ण किया तथा शिकायत की जांच पूर्व से ईओडब्ल्यू द्वारा भी की जा रही है अत: जिला स्तर से कराई गई जांच एवं प्रथम दृष्टता जांच में परिलक्षित अनियमितताओं को दृष्टिगत रखते हुए निष्पक्ष रूप से सम्पूर्ण जांच कार्यवाही पूर्ण करने हेतु प्रकरण राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो को सौंपे जाने की अनुशंसा कलेक्टर रीवा द्वारा की गई है। प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में दाखिल याचिका क्रमांक 5753/2012 (पीआईएल) से संबंधित है। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **3465/MGNREGS-MP/NR-वि.स./2016,** **दिनांक 11.04.2016**	संबंधितों से प्राप्त उत्तर पर विभाग शीघ्र कार्यवाही करे और दोषियों पर कार्यवाही हो। इस निर्देश के साथ समिति प्रकरण समाप्त करती है।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3.	20	परि.अता.प्र.सं.16 (क्र.632) दि. 07.12.2004	शिवपुरी जिले में जलग्रहण मिशन एवं पानी रोको अभियान के तहत हुए भ्रष्टाचार की जांच एवं कार्यवाही।	1. जांच की कार्यवाही प्रचलित है। 2. जांच उपरांत परिणाम प्राप्त होने पर दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही की जावेगी।	मिली वाटरशेड करमाजकलां एवं वाटरशेड कमेटी लुकवासा के संबंध में भ्रष्टाचार संबंधी शिकायत प्राप्त हुई है। इस संबंध में प्रश्न में दिये गये आश्वासन के अनुरूप राज्य स्तर से जांच दल गठित किया गया है। जांचदल शीघ्र अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। प्रतिवेदन प्राप्त होने पर शीघ्र कार्यवाही की जावेगी। **विभागीय पत्र क्रमांक – 10225/22/वि-9/आरजीएम/05, दिनांक 20.07.2005** समिति द्वारा सतत् परीक्षण उपरांत इस सचिवालय के पत्र क्रमांक 15888/वि.स./आश्वा./2007, दिनांक 23.07.2007 एवं स्मरण पत्र दिनांक क्रमशः 06.09.2008, 09.06.2009, 20.01.2011, 14.12.2012, 11.07.2013 द्वारा निम्नांकित अद्यतन जानकारी चाही गई थी :- ***जांच दल के रिपोर्ट की जानकारी।*** लगातार पत्राचार के बावजूद प्रकरण में अद्यतन जानकारी अप्राप्त है।	आश्वासन नवम्बर-दिसम्बर 2004 सत्र का है, लेकिन अभी तक इस मामले में जांच प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। समिति का मानना है कि जो मामले सदन में आ जाते है और जिन पर विभागीय मंत्री आश्वासन देते है। उन पर कार्यवाही प्राथमिकता पर होना चाहिए, क्योंकि इस संबंध में संसदीय कार्य विभाग के स्पष्ट निर्देश भी है। अतः समिति की अनुशंसा है कि चाही गई अद्यतन जानकारी समय पर उपलब्ध नहीं कराने के लिए उत्तरदायित्व का निर्धारण करते हुये जांच प्रतिवेदन शीघ्र प्राप्त किया जाए और इस मामले के दोषियों को भी दंडित किया जाए। इस निर्देश के साथ समिति प्रकरण समाप्त करती है।
4.	21	परि.अता.प्र.सं.17 (क्र.654) दि. 07.12.2004	खंडवा जिले में जिला पंचायत द्वारा पंचायतों को निर्धारित लक्ष्य से अधिक इंदिरा आवास स्वीकृति की जांच एवं कार्यवाही।	प्रकरण में परीक्षण किया जाकर दोषी पाये जाने पर दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही की जावेगी।	प्रकरण में जांच की कार्यवाही प्रचलित है। जांच उपरांत की गई कार्यवाही से अवगत कराया जावेगा। **विभागीय पत्र क्रमांक – 10211/वि.स/22/वि-7/ग्राआ/05, दिनांक 19.07.2005** समिति द्वारा सतत् परीक्षण उपरांत इस सचिवालय के पत्र क्रमांक 18982/वि.स./आश्वा./2008, दिनांक 06.09.2008 एवं स्मरण पत्र दिनांक क्रमशः 09.06.2009, 20.01.2011, 14.12.2012, 11.07.2013 द्वारा निम्नांकित अद्यतन जानकारी चाही गई थी :- ***जांच की स्थिति से समिति अवगत होना चाहती है, अभी तक की गई कार्रवाई की पूर्ण जानकारी?*** लगातार पत्राचार के बावजूद आज दिनांक तक जानकारी अप्राप्त है।	आ.क्र. 20 के अनुसार.

<table>
<tr><th>(1)</th><th>(2)</th><th>(3)</th><th>(4)</th><th>(5)</th><th>(6)</th><th>(7)</th></tr>
<tr><td>5.</td><td>123</td><td>परि.अता.प्र.सं.56
(क्र.949)
दि. 06.12.2004</td><td>पंचायत प्रशिक्षण केन्द्र मुलताई, जिला बैतूल में किये गये भ्रष्टाचार की जांच एवं शासकीय धन की वसूली की जाना।</td><td>शासन के धन की वसूली की कार्यवाही संबंधित के स्वत्वों से तथा आर.आर.सी. के रूप में की जावेगी।</td><td>पंचायत सचिव प्रशिक्षण केन्द्र, मुलताई में भ्रष्टाचार के संबंध में निम्न आरोपी कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया :-
<table><tr><td>1</td><td>श्री अरविन्द श्रीवास्तव
अनुदेशक</td><td>17.4.05</td></tr><tr><td>2</td><td>श्रीमती अनीता कुश्वाह,
अध्यक्ष, महिला मंडल, शोभापुर</td><td>4.11.05</td></tr><tr><td>3</td><td>श्री मनचित राव सोनारे,
वाटर मेन एवं प्रभारी लेखापाल</td><td>2.5.05</td></tr></table>उक्त आरोपी कर्मचारियों के प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है 1
4. श्री एस.के. मीणा, प्राचार्य की मृत्यु दिनांक 7.1.05 को हो गई है।
2/ उक्त आरोपियों से राशि की वसूली न्यायालय एवं शासन नियमानुसार संबंधितों के वित्तीय स्वत्वों से एवं स्थाई संपत्तियों से की जावेगी।
3/ पंचायत सचिव प्रशिक्षण केन्द्र, मुलताई कार्यालय के अन्य तीन कर्मचारियों से उनके वेतन से कुल राशि रू. 73,69,747/- में से राशि रू. 88,000/- माह अक्टूबर 05 तक वसूल की गई है।
विभागीय पत्र क्रमांक –
एफ 5-15/2004/26-1, दिनांक 23.12.2005</td><td>मामला गंभीर स्वरूप का है और 12 वर्ष पुराना है। इस प्रकरण में शेष राशि की वसूली विभाग शीघ्र करे । इस निर्देश के साथ समिति प्रकरण समाप्त करती है।</td></tr>
</table>

नवम्बर-दिसम्बर, 2004 सत्र
गृह(पुलिस) विभाग

स.क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या, प्रश्न क्रमांक, दिनांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	समिति का अभिमत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
6.	29	ता.प्र.सं.03 (क्र.574) दि. 30.11.2004	ग्वालियर जिले के ग्राम भंवरपुरा डकैत गिरोह द्वारा 13 व्यक्तियों का नरसंहार दोषी पुलिस अधिकारी एवं कर्मचारियों पर की गई कार्यवाही तथा मृतकों के परिवारों को दी जाने वाली सुविधा के संबंध में।	कार्यवाही की जा रही है।	दिनांक 29.10.2004 को ग्राम भंवरपुरा जिला ग्वालियर में गडरिया गिरोह द्वारा मारे गये 13 मृतकों के निकटतम परिजनों के प्रत्येक सदस्य को रूपये 3-3 लाख की आर्थिक सहायता एवं घायलों को रूपये 50-50 हजार की आर्थिक सहायता दी जा चुकी है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा की गई घोषणा के पालन में मृतक परिवारों के 13 सदस्यों में से 12 सदस्यों को स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा, वन विभाग एवं गृह (पुलिस) में नियुक्ति दी जा चुकी है। एक परिवार के आश्रित सदस्य श्री दिलीप सिंह पुत्र लौटन सिंह के बालिग होने पर विशेष नियुक्ति की कार्यवाही प्रचलित रहने के दौरान उनकी मृत्यु हो गई है। **विभागीय पत्र क्रमांक – 7029/6088/2011/बी-1/दो, दिनांक 05.12.2011**	कोई टिप्पणी नहीं।
7.	32	परि.अता.प्र.सं.36 (क्र.582) दि. 30.11.2004	थाना कानड़ आगर जिला शाजापुर में श्री गीतेश श्रीवास्तव पत्रकार व युवक कांग्रेस के जिला महामंत्री की हत्या में नामजद आरोपियों पर कार्यवाही की जाना।	वर्तमान में एक टीम गठित कर प्रकरण की विवेचना जारी है।	जिला शाजापुर के थाना कानड़ के अप.क्र. 101/04 धारा 302 भादवि के प्रकरण में संदेही शिवसिंह सौंधिया की पत्नी संगीता सौंधिया द्वारा गीतेश से प्रेम संबंधों के संबंध में लिखा गया पत्र दिनांक 09.11.2006 को रचना सक्सेना के पेश करने पर जप्त किया गया था। जप्त किये गये पत्र पुलिस अधीक्षक शाजापुर द्वारा दिनांक 31.12.07 को परीक्षण हेतु राज्य परीक्षक विवादास्पद प्रलेख पुलिस मुख्यालय, जहांगीराबाद, भोपाल को भेजा गया था। पत्र परीक्षण की रिपोर्ट दिनांक 24.05.08 को प्राप्त हुआ जिसमें जप्त पत्र की लिखावट से मिलान नहीं होना बताया गया है। अपराध में साक्ष्य के अभाव के आधार पर खात्मा क्र. 9/08 दिनांक 16.06.08 को तैयार किया गया जो दिनांक 04.05.09 को न्यायिक दण्डाधिकारी, आगर के न्यायालय से स्वीकृत हो चुका है। **विभागीय पत्र क्रमांक – 4281/3781/2011/बी-1/दो, दिनांक 29.06.2011**	कोई टिप्पणी नहीं।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
8.	34	स्थगन प्रस्ताव (क्र.2,5,11,16) दि. 06.12.2004	ग्वालियर जिले के भंवर पुरा गांव में डाकू गिरोह द्वारा ग्रामीणों की सामूहिक हत्याएं किये जाने पर उनके निकटतम परिजनों को आर्थिक सहायता दी जाना।	हरसंभव सहायता देने की कोशिश करेगें।	दिनांक 29.10.2004 को ग्राम भंवरपुरा जिला ग्वालियर में गडरिया गिरोह द्वारा मारे गये 13 मृतकों के निकटतम परिजनों के प्रत्येक सदस्य को रूपये 3-3 लाख की आर्थिक सहायता एवं घायलों को रूपये 50-50 हजार की आर्थिक सहायता दी जा चुकी है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा की गई घोषणा के पालन में मृतक परिवारों के 13 सदस्यों में से 12 सदस्यों को स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा, वन विभाग एवं गृह (पुलिस) में नियुक्ति दी जा चुकी है। एक परिवार के आश्रित सदस्य श्री दिलीप सिंह पुत्र लौटन सिंह के बालिग होने पर विशेष नियुक्ति की कार्यवाही प्रचलित रहने के दौरान उनकी मृत्यु हो गई है। **विभागीय पत्र क्रमांक – 5263/5315/2011/बी-1/दो, दिनांक 12.08.2011**	कोई टिप्पणी नहीं.
9.	36	ता.प्र.सं.10 (क्र.1133) दि. 08.12.2004	चित्रकूट सतना के महन्त हनुमानदास को जिन्दा जलाकर की गई हत्या की जांच एवं कार्यवाही।	1. कार्यपालिक दण्डाधिकारी द्वारा जांच की जा रही है। जांच में आये तथ्यों के आधार पर कार्यवाही की जावेगी। 2. यह सारा मामला मजिस्ट्रेट की जांच में है। जांच में जो भी तथ्य और साक्ष्य आयेंगे उनके अनुसार कार्यवाही की जावेगी।	थाना नयागांव के अप.क्र. 10/05 धारा 302, 34 भादवि के प्रकरण में साक्ष्य के अभाव में खातमा क्र. 01/06 दिनांक 31.03.2006 कता किया गया। **विभागीय पत्र क्रमांक – 4263/3793/2011/बी-1/दो, दिनांक 29.06.2011**	कोई टिप्पणी नहीं.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
10.	42	अता.प्र.सं.46 (क्र.1166) दि. 08.12.2004	टीकमगढ़ जिले के आदिवासी ग्राम तखा में आदिवासियों पर हुए अत्याचार की जांच एवं कार्यवाही की जाना।	प्रकरण विवेचनाधीन है, आरोपियों की गिरफ्तारी शेष है।	आवेदिका तुलसन सौंर पत्नी मोनेलाल सौंर निवासी तखा की रिपोर्ट पर थाना अजाक टीकमगढ़ में अप.क्र. 44/11 धारा 420,67,468,471,506 ता.हि. एवं 3(1) एससी/एसटी एक्ट का प्रकरण अनावेदक अमृत लाल यादव, सुखराम, प्रकाश यादव, मुन्ना सिंह ठाकुर, जयराम यादव, अरविंद यादव, शैलेन्द्र यादव, सियाराम यादव निवासी विनोद कुंज, टीकमगढ़ के विरूद्ध पंजीबद्ध किया गया जिसकी विवेचना तत्का. उपअ. अजाक वाई.आर. हरोड़े द्वारा की गई। दौरान विवेचना से पाया गया कि आवेदकगणों की जमीन पर अनावेदकों द्वारा कब्जा करना नहीं पाया गया। आवेदकों की जमीन खाली पड़ी पाई गई जिससे रिपोर्ट असत्य पाये जाने से प्रकरण खारिजी क्र. 1/06 दि. 24.02.06 को तैयार की जाकर स्वीकृति हेतु मान. न्यायालय भेजी गई। जो मान. मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी श्री संजय चतुर्वेदी द्वारा एम.जे.सी 2810 दि. 11.12.10 को खारिज स्वीकृत की गई है। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **4000/3487/2011/बी-1/दो, दिनांक 10.06.2011**	कोई टिप्पणी नहीं.
11.	43	अता.प्र.सं.13 (क्र.583) दि. 08.12.2004	दिनांक 3 दिसम्बर से 31 अक्टूबर 2004 तक प्रदेश में पुलिस गोली चालन की घटनाओं में दोषी अधिकारी/कर्मचारियों के विरूद्ध कार्यवाही की जाना।	जांच उपरांत यदि कोई पुलिस अधिकारी/कर्मचारी दोषी पाया जायेगा, तो तदनुसार उसके विरूद्ध कार्यवाही की जावेगी।	तत्कालीन नगर पुलिस अधीक्षक को प्रक्रियात्मक त्रुटि के लिये गंभीर चेतावनी एवं गनमेन प्रधान आरक्षक अभिलाख सिंह 26वीं वाहिनी, वि.स. बल गुना को सेवा पुस्तिका में निंदा के दण्ड से दण्डित किया गया है। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **6457/2008/बी-1/दो, दिनांक 22.07.2008**	कोई टिप्पणी नहीं.

नवम्बर-दिसम्बर, 2004 सत्र
ऊर्जा विभाग

स.क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या, प्रश्न क्रमांक, दिनांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	समिति का अभिमत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
12.	48	ता.प्र.सं.02 (क्र.430) दि. 30.11.2004	भिण्ड के सरकारी अस्पताल में विद्युत कटौती के दौरान हुई मौतों एवं दवाईयां खराब होने की जांच एवं कार्यवाही।	इस तरह के प्रकरणों में समस्त संबंधित विभागों एवं जिला प्रशासन के मध्य उच्च स्तरीय समन्वय स्थापित करने हेतु ठोस प्रयास किये जायेगें।	आश्वासन दिनांक के पश्चात अस्पताल हेतु पृथक से 11 केव्ही फीडर का निर्माण किया जा चुका है। प्रश्न दिनांक के पश्चात कभी भी अस्पताल का विद्युत कनेक्शन विच्छेदित नहीं हुआ है। उक्त दिनांक के पश्चात जिला प्रशासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग एवं विद्युत विभाग के अधिकारियों के समन्वय से ही अस्पताल के बकाया राशि व कनेक्शन विच्छेदन के संबंध में निर्णय लिये जाते है। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **एफ 11/288/05/13, दिनांक 23.06.2008**	कोई टिप्पणी नहीं.
13.	52	अता.प्र.सं.07 (क्र.1098) दि. 08.12.2004	मंदसौर विधान सभा क्षेत्र के किसानों को विद्युत मीटर उपलब्ध कराया जाना।	वर्ष 2005 तक मीटर हर किसान के पंप लगाने का प्रयास करेंगे।	माननीय नियामक आयोग द्वारा दिनांक 9.7.08 को जारी निर्देशानुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक है। तदानुसार कार्य योजना आयोग को प्रेषित की जा रही है। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **एफ 11/288/05/13, दिनांक 03.09.2008**	कोई टिप्पणी नहीं.
14.	53	ता.प्र.सं.03 (क्र.193) दि. 08.12.2004	तहसील श्योपुर के ग्राम विठ्ठलपुर में टूटी पड़ी विद्युत लाईनों की शीघ्र मरम्मत किया जाना।	उक्त कार्य संबंधित उपभोक्ताओं से बकाया राशि का भुगतान प्राप्त होने के उपरांत कार्य संभव होगा। अत: संबंधी समय सीमा बता पाना वर्तमान में संभव नहीं है।	तहसील श्योपुर ग्राम विठ्ठलपुर में टूटी पड़ी लाईनों में सुधार कार्य करके विद्युत प्रदाय नियमित करने हेतु कार्यादेश एस.टी.सी. संभाग को जारी किया गया है तथा कार्य प्रगति पर है। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **एफ 11/288/09/तेरह, दिनांक 18.05.2009**	कोई टिप्पणी नहीं.

नवम्बर-दिसम्बर, 2004 सत्र
जल संसाधन विभाग

स.क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या, प्रश्न क्रमांक, दिनांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	समिति का अभिमत
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**
15.	57	ता.प्र.सं.18 (क्र.106) दि. 30.11.2004	सीधी जिले के महान परियोजना हेतु धन राशि के आवंटन में हुई अनियमितताओं की जांच कराई जाना।	इन सभी अपराधियों के विरूद्ध विभागीय जांच संस्थापित कर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।	जल संसाधन विभाग के आदेश क्रमांक 16/ए/36/2004/पी-2/31 दिनांक 23.04.04 द्वारा दोषी अधिकारी/कर्मचारियों को निलंबित कर विभागीय जांच संस्थित की गई। विभागीय जांच उपरांत आदेश क्रमांक एफ 18-59/2007/पी-2/31 दिनांक 27.1.10 द्वारा दण्डादेश जारी कर प्रकरण समाप्त किया गया। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **एफ 21-50/पी-2/2010, दिनांक 02.06.2011**	कोई टिप्पणी नहीं.
16.	59	अता.प्र.सं.16 (क्र.261) दि. 30.11.2004	मऊगंज जिला रीवा की गोरमा उद्वहन सिंचाई योजना का अपूर्ण कार्य शीघ्र पूर्ण किया जाना।	योजना का कार्य पर्याप्त आवंटन प्राप्त होने पर दो वर्षों में पूर्ण कर लिया जायेगा।	बंद पड़ी उद्वहन सिंचाई योजना को चालू कराने के लिए परियोजना से लाभांवित कृषकों द्वारा विद्युत बिलों के वहन/भुगतान करने की सहमति नहीं मिलने से परियोजना को प्रारंभ किया जाना संभव नहीं है। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **21/लघु/31/90/05/858, दिनांक 20.10.2014**	कोई टिप्पणी नहीं.

नवम्बर-दिसम्बर, 2004 सत्र
खेल एवं युवक कल्याण विभाग

स.क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या, प्रश्न क्रमांक, दिनांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	समिति का अभिमत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
17.	64	ता.प्र.सं.01 (क्र.157) दि. 30.11.2004	जिला टीकमगढ़ के निवाड़ी विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत ओरछा यूथ हॉस्टल निर्माण की लंबित प्रक्रिया पूर्ण किये जाने एवं नई योजना बनाये जाने संबंधी।	जरूर देखेगें।	प्रकरण का परीक्षण किया गया। यूथ हॉस्टल निर्माण की योजना भारत सरकार की है, जो नेहरू युवा केन्द्र को हस्तान्तरित हो गई है। नेहरू युवा केन्द्र भारत सरकार का उपक्रम है। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **एफ 3-27/04/नौ, दिनांक 29.08.2011**	कोई टिप्पणी नहीं.

नवम्बर-दिसम्बर, 2004 सत्र
सहकारिता विभाग

स.क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या, प्रश्न क्रमांक, दिनांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	समिति का अभिमत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
18.	79	अता.प्र.सं.03 (क्र.145) दि. 09.12.2004	इंदौर विकास प्राधिकरण में सहकारी गृह निर्माण समिति के सदस्यों को भू-खण्ड आवंटन में हुई अनियमितता की जांच एवं दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही करने बावत्।	धारा-60 की कार्यवाही उपरांत उत्तरदायित्व निर्धारण किया जाना संभव होगा।	इंदौर विकास प्राधिकरण इंदौर के संकल्प 9 अंतर्गत आने वाली गृह निर्माण समितियों की धारा-60 के तहत निरीक्षण आदेश दिये गये थे। अभी तक 19 संस्थाओं के निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हुए है शेष संस्थाओं के निरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु संबंधित निरीक्षण अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। धारा-60 के तहत प्रस्तुत निरीक्षण प्रतिवेदन पर अधिनियम की धारा 61 के तहत कार्यवाही की जा रही है। धारा-61 के पालन प्रतिवेदन के परीक्षण उपरांत नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **एफ 10-246/2004/15-1, दिनांक 13.09.2005** समिति द्वारा सतत् परीक्षण उपरांत इस सचिवालय के पत्र क्रमांक 28550/वि.स./आश्वा./2005, दिनांक 30.12.2005 एवं स्मरण पत्र दिनांक क्रमश: 09.07.2007, 06.09.2008, 09.06.2009, 27.01.2011, 14.12.2012, 11.07.2013 द्वारा निम्नांकित अद्यतन जानकारी चाही गई थी :- ***प्रतिवेदन के परीक्षण करने के उपरांत आज दिनांक तक की कार्यवाही की अद्यतन जानकारी।*** लगातार पत्राचार के बावजूद आज दिनांक तक जानकारी अप्राप्त है।	मामला गंभीर है और इस मामले में कार्यवाही अभी तक पूर्ण नहीं हुई है। विभागीय आश्वासन अनुरूप जांच प्रतिवेदन के निष्कर्ष के आधार पर 02 माह की समय-सीमा में उत्तरदायित्व का निर्धारण सहित कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। इस निर्देश के साथ समिति प्रकरण समाप्त करती है।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
19.	81	अता.प्र.सं.45 (क्र.1224) दि. 09.12.2004	जिला उज्जैन की सेवा सहकारी संस्था उण्डासा के संबंध में ग्राम हक्कानीपुरा के किसानों द्वारा धोखा धड़ी की जिलाधीश से शिकायत की जांच एवं दोषियों पर कार्यवाही करने बाबत।	वसूली हेतु वैधानिक कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये हैं।	सेवा सहकारी संस्था उण्डासा की शिकायत की जांच प्रतिवेदन के अनुसार शिकायतकर्ताओं की संख्या 45 थी, जिसमें से 07 सदस्यों ने अपनी विवादित राशि सम्पूर्ण जमा करा दी है। शेष 37 सदस्यों से विवादास्पद राशि वसूली हेतु धारा 64 में व 1 सदस्य के विरूद्ध धारा 84 में वसूली हेतु वैधानिक कार्यवाही की गई है। तत्समय के दोषी कर्मचारी, तत्कालीन समिति प्रबंधक स्व.श्री राजेश आचार्य, तत्कालीन प्रभारी पर्यवेक्षक (31.01.04) श्री श्यामाराव जोशी/श्री सुरेश शर्मा तत्कालीन पर्यवेक्षक सेवानिवृत्त 31.08.2004 को सेवानिवृत्ति उपरांत देय उपादानों पर रोक लगाई गई है। **विभागीय पत्र क्रमांक -** **एफ-10-251/2004/15-1, दिनांक 20.06.2011** **<u>अद्यतन जानकारी</u> :-** मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय के पत्र क्रमांक 14995/वि.स./आश्वासन/11, दिनांक 06.07.2011 द्वारा शेष 37 सदस्यों से राशि वसूली की चाही गयी अद्यतन स्थिति की जानकारी निम्नानुसार है - सेवा सहकारी समिति उण्डासा की शिकायत की जांच में 45 शिकायतकर्ता थे। इनमें से अभी तक 27 सदस्यों द्वारा संपूर्ण राशि जमा कर दी गई। शेष में से 8 प्रकरणों में न्यायालय सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं उज्जैन द्वारा संस्था के पक्ष में डिक्री आदेश पारित किये गये हैं तथा शेष 10 प्रकरण न्यायालय में प्रचलित हैं। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **60/10-251/2016/15-1, दिनांक 09.02.2016**	कोई टिप्पणी नहीं।

नवम्बर-दिसम्बर, 2004 सत्र
वन विभाग

स.क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या, प्रश्न क्रमांक, दिनांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	समिति का अभिमत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
20.	84	परि.अता.प्र.सं.12 (क्र.207) दि. 01.12.2004	जिला श्योपुर अंतर्गत विस्थापितों को पात्रता न होने के बावजूद राशि प्रदान किए जाने वालों पर कार्यवाही की जाना।	दोषी पाए जाने पर संबंधित के विरूद्ध कार्यवाही की जावेगी।	प्रकरण की जांच करने पर पाया गया कि पांच अपात्र लोगों को रू. 42000/- का भुगतान किया गया था। परंतु जैसे ही यह जानकारी प्राप्त हुई है कि उक्त व्यक्ति अपात्रों की श्रेणी में आते है, इनके खाते बंद किया जाकर उपलब्ध राशि को अन्य पात्र परिवारों के खाते में समायोजित किया गया। इन पांच अपात्र व्यक्तियों को मकान बनाने के लिए राशि दिया जाना एक प्रक्रियात्मक चूक थी, जो किसी के द्वारा व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं की गई थी। अत: प्रकरण में किसी अधिकारी/कर्मचारी को दोषी नहीं माना गया है। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **एफ 22-186/2004/10-2, दिनांक 07.09.2011**	कोई टिप्पणी नहीं.
21.	85	अता.प्र.सं.26 (क्र.674) दि. 01.12.2004	होशंगाबाद जिले के ग्राम तवा नगर की भूमि के निर्वनीकरण में अधिसूचना जारी नहीं होना।	उक्त कार्यवाही उपरांत निर्वनीकरण की अधिसूचना जारी की जायेगी। समयावधि बताया जाना संभव नहीं है।	होशंगाबाद जिले के ग्राम तवा नगर की 367.56 एकड़ भूमि के निर्वनीकरण के संबंध में प्रस्ताव प्रधान मुख्य वन संरक्षक के पत्र क्र./एफ-3/216, दिनांक 28.1.08 द्वारा भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय नई दिल्ली को प्रेषित किया गया है। भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त होने पर वन भूमि के निर्वनीकरण की कार्यवाही की जावेगी। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **एफ 22-146/2004/10-2, दिनांक 05.07.2008**	कोई टिप्पणी नहीं.

नवम्बर-दिसम्बर, 2004 सत्र
राजस्व विभाग

स.क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या, प्रश्न क्रमांक, दिनांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	समिति का अभिमत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
22.	87	अता.प्र.सं.32 (क्र.731) दि. 01.12.2004	जिला भिण्ड स्थित कब्रिस्तान की भूमि पर से अतिक्रमण हटाना।	शेष अतिक्रमणकताओं को भू-राजस्व संहिता की धारा 248 के तहत अतिक्रमण हटाये जाने की कार्यवाही की जा रही है।	उत्तर अप्राप्त	इस मामले में लगभग 11 वर्ष से अधिक का समय व्यतीत हो चुका है। विभाग द्वारा अब तक कार्रवाई न किया जाना अत्यन्त आपत्तिजनक है। यह निश्चित ही दोषियों को बचाने की प्रवृत्ति का द्योतक है। समिति इस निर्देश के साथ प्रकरण समाप्त करती है कि न केवल अवैध अतिक्रमण निश्चित समय-सीमा में हटाया जाए वरन् इस अप्रत्याशित विलंब के दोषी राजस्व अधिकारी भी दंडित हो।
23.	88	ता.प्र.सं.05 (क्र.779) दि. 09.12.2004	जिला छिन्दवाड़ा अंतर्गत राजस्व एवं अपीलीय प्रकरणों के निराकरण संबंधी।	हम जांच करा लेगें।	जांच में पाया है कि छिन्दवाड़ा जिले की अमरवाड़ा तहसील में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के कार्यालय में वर्ष 2000-2001 से 2003-2004 की अवधि में राजस्व प्रकरण एवं अपील प्रकरणों के शेष होने की दर्शाई गई स्थिति अनुसार सभी प्रकरणों का सत्यापन कराया गया। वर्तमान स्थिति में उपरोक्त वर्षो के दर्शाये गये सभी राजस्व एवं अपील प्रकरणों का निराकरण किया जा चुका है। **विभागीय पत्र क्रमांक – एफ-7-/सा.वि./प्र.रा.आ/2015/511/7, दि.28.01.2016**	कोई टिप्पणी नहीं।
24.	89	ता.प्र.सं.13 (क्र.1169) दि. 09.12.2004	जिला मुरैना की नगर पंचायत जौरा में शासकीय भूमि पर अवैध निर्माण कार्य के मामलों की जांच एवं दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही करने के संबंध में।	लंबित आवेदन पत्रों का निराकरण समय-सीमा में किया जायेगा।	कलेक्टर जिला मुरैना के पत्र में उल्लेख किया गया है कि जिला मुरैना नगर पंचायत जौरा में अवैध निर्माण के मामलों तत्समय दोषी अधिकारी/कर्मचारी श्री गजेन्द्र सिंह यादव, श्री अनिल व्यास, श्री रूपेश उपाध्याय, तहसीलदार को निलंबित किया जाकर कार्यवाही की गई थी। जौरा नगर पंचायत में शासकीय भूमि पर अवैध निर्माण के 25 प्रकरण दर्ज कर अर्थदण्ड आरोपित किये जाकर बेदखली की कार्यवाही की गई है। **विभागीय पत्र क्रमांक – एफ-3/ग्राभूप्र-आश्वा/2015/6667, दि.16.11.2015**	कोई टिप्पणी नहीं.

नवम्बर-दिसम्बर, 2004 सत्र
खनिज साधन विभाग

स.क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या, प्रश्न क्रमांक, दिनांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	समिति का अभिमत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
25.	90	ध्यानाकर्षण सूचना दि. 09.12.2004	भिण्ड जिले में सिंध नदी के किनारे भारी पैमाने पर रेत का अवैध उत्खनन किये जाने की जांच एवं दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही।	1. आपकी भावनाओं का सम्मान करते हुए पूरी जांच करा लूंगा एवं जांच में जो दोषी पाये गये हैं, उन पर निश्चित कार्यवाही की जायेगी। 2. हम शासन के हमारे विभाग के अधिकारियों को भेजकर जांच करा लेंगे।	क्षेत्रीय प्रमुख तथा भार साधक अधिकारी, उड़नदस्ता, ग्वालियर-चंबल संभाग, सहायक प्रबंधक, म.प्र. राज्य खनिज निगम एवं खनिज अधिकारी भिण्ड द्वारा भिण्ड जिले के ग्राम बरहा, पर्यायच एवं टेहनगुर के पास स्थित सिंध नदी के आस पास के क्षेत्रों का स्थल निरीक्षण/ जांच की गई । जांच के दौरान उक्त स्थानों पर कोई अवैध उत्खनन अथवा अवैध परिवहन होना नहीं पाया गया । खनिज अधिकारी, भिण्ड द्वारा भी उक्त क्षेत्रों का समय-समय पर निरीक्षण किया गया है, निरीक्षण के दौरान अवैध उत्खनन एवं अवैध परिवहन होना नहीं पाया गया। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **2468/3037/2012/12/1, दिनांक 08.05.2014**	कोई टिप्पणी नहीं.
26.	96	ता.प्र.सं.15 (क्र.479) दि. 10.12.2004	उज्जैन सिंहस्थ के अंतर्गत किये गये कार्यों में पाई गई अनियमितता की जांच एवं कार्यवाही।	जांच उपरांत ही आरोप सही होने पर दोषी अधिकारियों के विरूद्ध कार्रवाई की जा सकेगी।	प्रकरण में शासन के ज्ञाप क्रमांक एफ 17-13/2005/स्था/ 19 द्वारा 17 अपचारियों के विरूद्ध कारण बताओ सूचना पत्र जारी किये गये थे। सा.प्र.वि. एवं प्र.अ. की अनुशंसा अनुसार दोषी नहीं पाये जाने पर बिना किसी दण्ड के प्रकरण दिनांक 5.9.2009 को समाप्त किया गया है। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **3479/3777/2013/स्था/19, दिनांक 22.07.2013**	कोई टिप्पणी नहीं.

नवम्बर-दिसम्बर, 2004 सत्र
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग

स.क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या, प्रश्न क्रमांक, दिनांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	समिति का अभिमत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
27.	99	ता.प्र.सं.14 (क्र.219) दि. 02.12.2004	जिला बालाघाट के नगरपालिका परिषद वारासिवनी की शिकायतकर्ताओं द्वारा की गई शिकायत की जांच एवं कार्यवाही।	जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।	इस प्रकरण में जांच करा ली गई है। प्राप्त जांच प्रतिवेदन में वर्णित निष्कर्षो के आधार पर दोषी मुख्य नगर पालिका अधिकारी श्री रामबीर सिंह तोमर के विरूद्ध विभाग द्वारा जांच संस्थित कर श्री तोमर से प्राप्त उत्तर परीक्षणाधीन है। श्री कृष्ण कुमार खुटाटे के विरूद्ध विभागीय जांच संस्थित की गई है । इस जांच में श्री खुटाटे के विरूद्ध आरोप प्रमाणित नहीं पाये गये। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **एफ 11-99/5/18-1, दिनांक 14.03.2007**	कोई टिप्पणी नहीं.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
28.	100	प्र.सं. (क्र.482) दि. 02.12.2004	जिला उज्जैन की नगर पालिका, महिदपुर में नियम विरूद्ध राजस्व निरीक्षक का संविलियन किये जाने की जांच एवं कार्यवाही।	1. जांच की जा रही है। 2. जांच उपरांत नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।	जांच कार्यवाही प्रचलित है। वर्तमान में किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं। **विभागीय पत्र क्रमांक -** **2537/10/18-1, 06.07.2010** समिति ने विभागीय जानकारी के परीक्षणोपरांत इस सचिवालय के पत्र क्रमांक 20856/वि.स./आश्वा./2010, दिनांक 21.10.2010 एवं स्मरण पत्र दिनांक 24.09.2012 द्वारा निम्नांकित अद्यतन जानकारी चाही गई थी :- ***जांच की पूर्ण/अद्यतन जानकारी।*** **<u>अद्यतन जानकारी</u> :-** म.प्र. शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग मंत्रालय के आदेश क्र. 7224/3925/03/18-1, दिनांक 08.08.13 द्वारा श्री सुबोध जैन, पर्यवेक्षक, प्रौढ़ शिक्षा संचालनालय का नगर पालिका, महिदपुर के राजस्व निरीक्षण के पद पर किये गये संविलियन को म.प्र. शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग मंत्रालय भोपाल के आदेश क्रमांक एफ 4-119/2012/18-1, दिनांक 21.9.2012 द्वारा निरस्त किया गया है। शासन के उक्त आदेश के विरूद्ध श्री जैन ने माननीय उच्च न्यायालय, खण्डपीठ, इंदौर में याचिका क्रमांक 9612/12 दायर कर दिनांक 04.10.2012 को स्थगन प्राप्त किया गया है। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **349/258/2013/18-1, दिनांक 21.02.2013** समिति द्वारा सतत् परीक्षण उपरांत इस सचिवालय के पत्र क्रमांक 11627/वि.स./आश्वा/2013, दिनांक 28.05.2013 एवं स्मरण पत्र दिनांक 11.07.2013 द्वारा निम्नांकित जानकारी चाही गई :- ***1. प्रकरण 9 वर्ष पुराना है।*** ***2. उच्च न्यायालय इंदौर से संविलियन रद्द करने के मामले में प्राप्त स्थगन वैकेट कराने हेतु अब तक की गई कार्यवाही का विवरण।*** ***3. स्थगन हटाने हेतु न्यायालय में कब-कब आवेदन किये गये तिथिवार बतायें।*** ***4. क्या शासन यह मानता है कि दोषी को अनुचित लाभ पहुंचाने की नियत से मामले में अनावश्यक विलंब किया जा चुका है।*** लगातार पत्राचार के बावजूद आज दिनांक तक जानकारी अप्राप्त है।	प्रकरण में स्थगन आदेश को निरस्त कराया जाकर दोषी व्यक्ति के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही किए जाने की अपेक्षा के साथ समिति प्रकरण समाप्त करती है।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
29.	102	ता.प्र.सं.19 (क्र.993) दि. 10.12.2004	इंदौर नगर पालिक निगम द्वारा वर्ष 99-2000 से 31.10.04 तक वार्डवार किये गये नलकूपों का भौतिक सत्यापन किया जाना।	उनका भौतिक परीक्षण करा लेंगे।	नलकूपों का भौतिक सत्यापन कलेक्टर द्वारा किया गया है। **विभागीय पत्र क्रमांक – 2970/2008/18-1, दिनांक 24.06.2008**	कोई टिप्पणी नहीं.
30.	105	अता.प्र.सं.01 (क्र.125) दि. 10.12.2004	नगर पालिक निगम बुरहानपुर में सामग्री क्रय प्रक्रिया में अनियमितता एवं दोषी कर्मचारी/अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही।	प्रतिवेदन प्राप्त होने पर योग्य कार्यवाही की जा सकेगी।	प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है। **विभागीय पत्र क्रमांक – 2972/2008/18-1, दिनांक 24.06.2008**	कोई टिप्पणी नहीं.

नवम्बर-दिसम्बर, 2004 सत्र
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

<table>
<tr><th>स.क्र.</th><th>आश्वासन क्रमांक</th><th>प्रश्न संख्या, प्रश्न क्रमांक, दिनांक</th><th>आश्वासन का संक्षिप्त विषय</th><th>आश्वासन का रूप</th><th>शासन द्वारा की गई कार्यवाही</th><th>समिति का अभिमत</th></tr>
<tr><td>(1)</td><td>(2)</td><td>(3)</td><td>(4)</td><td>(5)</td><td>(6)</td><td>(7)</td></tr>
<tr><td>31.</td><td>109</td><td>परि.अता.प्र.सं.22
(क्र.615)
दि.02.12.2004</td><td>छिन्दवाड़ा जिले की पांढुर्णा विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत स्वीकृत पेयजल संबंधी अपूर्ण कार्यो को पूरा किया जाना।</td><td>44 कार्य अपूर्ण है। वित्तीय संसाधनों की उपलब्धतानुसार कार्य पूर्ण किये जा सकेंगे।</td><td>आश्वासन की तिथि दिनांक 02.12.2004 को पांढुर्णा विधान सभा क्षेत्र में 44 कार्य अपूर्ण है, जिनका विवरण निम्नानुसार है:-
<table>
<tr><th></th><th>आश्वासन के अंतर्गत दर्शाये कार्यो का विवरण</th><th>आश्वासन में पूर्ण किये गये कार्य</th><th>शेष कार्य</th><th>वर्तमान में प्रगतिरत कार्य</th><th>अप्रारंभ कार्य</th></tr>
<tr><td>प्रगतिरत नलजल योजना</td><td>16</td><td>14</td><td>02</td><td>02</td><td>00</td></tr>
<tr><td>अप्रारम्भ नलजल योजना</td><td>12</td><td>01</td><td>11</td><td>11</td><td>0</td></tr>
<tr><td>प्रगतिरत कुएं</td><td>02</td><td>02</td><td>00</td><td>00</td><td>00</td></tr>
<tr><td>अप्रारंभ कुएं</td><td>09</td><td>05</td><td>04</td><td>02</td><td>02</td></tr>
<tr><td>स्टापडेम</td><td>04</td><td>03</td><td>01</td><td>00</td><td>01</td></tr>
<tr><td>चैकडेम</td><td>01</td><td>00</td><td>01</td><td>00</td><td>01</td></tr>
<tr><td>योग</td><td>44</td><td>25</td><td>19</td><td>15</td><td>04</td></tr>
</table>
विभागीय पत्र क्रमांक -
840/2011/2/34, दिनांक 25.02.2011

समिति ने विभागीय जानकारी के परीक्षणोपरांत इस सचिवालय के पत्र क्रमांक 11847/वि.स./आश्वा./11, दिनांक 24.05.2011 द्वारा निम्नांकित अद्यतन जानकारी चाही गई :-
पांढुर्णा विधान सभा क्षेत्र के ग्रामों में शेष 19 कार्य प्रगतिरत 15 कार्य एवं अपूर्ण 04 कार्य, पेयजल के पूर्ण होने की अद्यतन/पूर्ण जानकारी।</td><td>कोई टिप्पणी नहीं।</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>(1)</th><th>(2)</th><th>(3)</th><th>(4)</th><th>(5)</th><th>(6)</th><th>(7)</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>
अद्यतन जानकारी :-
आश्वासन की तिथि दिनांक 02.12.2004 को पांढुर्णा विधान सभा क्षेत्र में 44 कार्य अपूर्ण है । जिनका विवरण निम्नानुसार है:-
<table>
<tr><th></th><th>आश्वासन के अंतर्गत दर्शाये कार्यो का विवरण</th><th>आश्वासन में पूर्ण किये गये कार्य</th><th>वर्तमान में प्रगतिरत कार्य</th><th>अप्रारंभ कार्य</th></tr>
<tr><td>प्रगतिरत नलजल योजना</td><td>16</td><td>15</td><td>01</td><td>00</td></tr>
<tr><td>अप्रारम्भ नलजल योजना</td><td>12</td><td>12</td><td>00</td><td>00</td></tr>
<tr><td>प्रगतिरत कुएं</td><td>02</td><td>02</td><td>00</td><td>00</td></tr>
<tr><td>अप्रारंभ कुएं</td><td>09</td><td>09</td><td>00</td><td>00</td></tr>
<tr><td>स्टापडेम</td><td>04</td><td>03</td><td>00</td><td>01</td></tr>
<tr><td>चैकडेम</td><td>01</td><td>00</td><td>00</td><td>01</td></tr>
<tr><td>योग</td><td>44</td><td>41</td><td>01</td><td>02</td></tr>
</table>
विभागीय पत्र क्रमांक -
एफ 13-159/2011/2/34, दिनांक 16.10.2012
</td><td></td></tr>
</table>

नवम्बर-दिसम्बर, 2004 सत्र
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

स.क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या, प्रश्न क्रमांक, दिनांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	समिति का अभिमत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
32.	116	परि.अता.प्र.सं.23 (क्र.649) दि.06.12.2004	छिन्दवाड़ा जिले में प्रशिक्षण प्राप्त स्टाफ नर्स की पदस्थापना न किये जाने की जांच एवं दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही की जाना।	इस संबंध में तत्कालीन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से स्पष्टीकरण मांगा गया है, जवाब का परीक्षण कर कार्यवाही की जायेगी।	प्रकरण में तत्कालीन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, छिन्दवाड़ा डॉ.डी.सी.जैन, दिनांक 30.09.2005 को सेवानिवृत्त हो चुके है एवं तत्कालीन स्थापना लिपिक श्रीमती भारती टेकाड़े, सहायक ग्रेड-2 को चेतावनी देकर तत्काल प्रभाव से नर्सिंग स्थापना से हटाकर अन्य कर्मचारी को प्रभार सौंपा गया है। **विभागीय पत्र क्रमांक - आर-1804/2009/सत्रह/मेडि-1, दिनांक 17.02.2010**	कोई टिप्पणी नहीं।
33.	121	ध्यानाकर्षण सूचना दि. 10.12.2004	रीवा जिले के ग्राम लासा, तिलिया, खरहरी, गौरगांव, सूरसा, भलूहा, भोसबाड़ा (पनवार) सहित कई ग्रामों में कॉलरा(CHOLERA) से प्रभावित हुए लोगों का उपचार में लापरवाही बरतने वाले डॉक्टरों के विरूद्ध कार्यवाही की जाना एवं रिक्त चिकित्सकों के पदों की पूर्ति की जाना।	1. जैसे ही नई नियुक्ति करेंगे तो वहां पर डॉक्टरों की पदस्थापना कर देंगे। 2. पर यह आयुर्वेद वाले क्यों नहीं गये इसकी हम जांच करा लेंगे और उनको वहां से हटा देते हैं हम और इसके बाद जांच करवायेंगे।	1. आश्वासन अनुसार चिकित्सकों के पदों की पूर्ति की गई है लेकिन शतप्रतिशत पदों की पूर्ति की जाना संभव नहीं है क्योंकि प्रदेश में चिकित्सकों की कमी है। शेष पेरामेडिकल पदों की पूर्ति की गई है। लेकिन शतप्रतिशत पदों की पूर्ति की जाना संभव नहीं है। 2. चिकित्सा विभाग से संबंधित है। इस आश्वासन की प्रति चिकित्सा शिक्षा विभाग को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी गई है। **विभागीय पत्र क्रमांक – एफ 4121/5240/2010/सत्रह/मेडि-1, दिनांक 11.10.2010**	कोई टिप्पणी नहीं.

नवम्बर-दिसम्बर, 2004 सत्र
स्कूल शिक्षा विभाग

स.क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या, प्रश्न क्रमांक, दिनांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	समिति का अभिमत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
34.	125	ता.प्र.सं.03 (क्र.588) दि. 06.12.2004	रीवा जिले में आपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना के तहत सामग्री खरीदी में की गई अनियमितता की जांच एवं कार्यवाही।	1. जिले स्तर से रिपोर्ट प्राप्त होने पर आगामी कार्यवाही की जा सकेगी चूंकि कार्यवाही जारी है। 2. जो बिन्दु है उनके ऊपर जांच कर ली जाएगी।	रीवा संभाग के संभागायुक्त को अ.शा. पत्र क्रमांक 346 दिनांक 02.09.05 द्वारा जांच शीघ्र पूर्ण किये जाने हेतु पुन: लेख किया गया है। संभागायुक्त द्वारा जांच संबंधी समस्त अभिलेख प्राप्त कर लिये गये है। जांच शीघ्र पूर्ण कर ली जाएगी। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **एफ 30-228/20-2/04, दिनांक 26.09.2005** समिति ने विभागीय जानकारी के परीक्षणोपरांत इस सचिवालय के पत्र क्रमांक 15326/वि.स./आश्वा./2007, दिनांक 18.07.2007 एवं स्मरण पत्र दिनांक क्रमश: 06.09.2008, 09.06.2009, 21.01.2011, 09.08.2012, 12.07.2013 द्वारा निम्नांकित अद्यतन जानकारी चाही गई थी :- ***जांच पूर्ण हुई अथवा नहीं ?अभी तक की पूर्ण जानकारी।*** लगातार पत्राचार के बावजूद जांच पूर्ण हुई अथवा नहीं की अद्यतन स्थिति की जानकारी अप्राप्त है।	विभागीय जानकारी से स्पष्ट है कि मामले में दिसम्बर 2004 से कार्यवाही अभी लगातार पत्राचार किये जाने एवं विभागीय मौखिक साक्ष्य में प्रकरण रखे जाने के बावजूद अभी तक जांच प्रतिवेदन प्राप्त होना बाकी है। इस निर्देश के साथ समिति प्रकरण समाप्त करती है कि समिति द्वारा चाही गई जानकारी उपलब्ध नहीं कराने के लिये उत्तरदायित्व का निर्धारण करते हुये इस मामले में जांच प्रतिवेदन शीघ्र प्राप्त किया जाए और मामले में दोषियों को भी दंडित किया जाए।
35.	133	परि.ता.प्र.सं.39 (क्र.709) दि. 06.11.2004	तत्कालीन प्राचार्य मार्तण्ड उमावि क्रमांक-1 रीवा में की गई अनियमितता की जांच एवं कार्यवाही।	जी हां। जांच कराई जा रही है। जांच उपरांत निर्णय लिया जायेगा।	जिला शिक्षा अधिकारी रीवा के पत्र क्रमांक 1168, दिनांक 22.11.05 द्वारा अवगत कराया गया है क्रय की गई सामग्री का भुगतान जिलाध्यक्ष के अनुमोदन के बाद किया गया है। इस संबंध में प्राचार्य को जांच में दोषी नहीं पाया गया है। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **एफ 31/10/15/2007, दिनांक 17.04.2015**	कोई टिप्पणी नहीं.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
36.	134	परि.ता.प्र.सं.41 (क्र.727) दि. 06.12.2004	प्राचार्य उ.मा.वि. निशातपुरा भोपाल द्वारा की गई अनियमितताओं की जांच एवं कार्यवाही।	जांच आदेशित की गई है। जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर गुणदोष के आधार पर दोषी प्राचार्य के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी।	शा.उ.मा.वि. निशातपुरा भोपाल के तत्कालीन प्राचार्य श्री मुश्ताक मोहम्मद खान द्वारा संस्था की दानपेटी की राशि रू. 5000 दिनांक 18.08.2006 को संस्था में जमा किये गये जिसको संस्था द्वारा बैंक में जमा कर दिया गया। इसके साथ ही अन्य अनियमितताओं हेतु श्री खान की दो वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने हेतु संचालनालय के पत्र क्रमांक/सर्त/जी/01/04/1599 दिनांक 09.11.2009 के द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया। इसी बीच दिनांक 10.07.2009 को श्री मुश्ताक मो. खान प्राचार्य शा.उ.मा.वि. गुनगा जिला भोपाल को लोकायुक्त द्वारा रिश्वत लेने के आरोप में ट्रेप किया गया तथा इस प्रकरण में माननीय न्यायालय द्वारा श्री खान को दो वर्ष का सक्षम कारावास एवं रू. 2500/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। श्री खान को दण्डित किये जाने के कारण शासन के आदेश क्रमांक 17-26/2009/20-4 दिनांक 03.10.2013 द्वारा सेवा से पदच्युत किया जा चुका है। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **1190/2002/2015/बीस-4, दिनांक 30.03.2015**	कोई टिप्पणी नहीं.
37.	142	अता.प्र.सं.71 (क्र.872) दि. 06.12.2004	सतना जिले में नियम विरूद्ध स्थानांतरण आदेश जारी किये जाने की जांच एवं कार्यवाही।	आवश्यकतानुसार जांच की कार्यवाही की जायेगी।	प्रकरण में तत्कालीन प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी सतना से किये गये प्रश्नांकित स्थानांतरणों के संबंध में स्पष्टीकरण लिया गया था। प्राप्त स्पष्टीकरण पर वर्तमान जिला शिक्षा अधिकारी से प्रतिवेदन चाहा गया है। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **एफ 30-385/2005/बीस-1, दिनांक 29.11.2005**	समिति इस निर्देश के साथ प्रकरण समाप्त करती है कि विभाग आश्वासन अनुरूप कार्रवाई करें।

स्थान :- भोपाल
दिनांक :- 27 जुलाई, 2016

डॉ.राजेन्द्र पाण्डेय
सभापति
शासकीय आश्वासनों संबंधी समिति

:: परिशिष्ट - 1 ::

नवम्बर-दिसम्बर, 2004 सत्र के पूर्व प्रतिवेदनों में सम्मिलित आश्वासनों की सूची

क्रमांक	आश्वा.क्रं.	विभाग का नाम	प्रकरण की स्थिति	विधान सभा अवधि
1.	02	वाणिज्य, उद्योग और रोजगार	चतुर्थ प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
2.	03	"	सत्ताईसवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
3.	04	वित्त	तेरहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
4.	05	पंचायत एवं ग्रामीण विकास	तेरहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
5.	06	"	चतुर्थ प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
6.	07	"	तेरहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
7.	08	"	तेरहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
8.	09	"	चतुर्थ प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
9.	10	"	चतुर्थ प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
10.	11	"	चतुर्थ प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
11.	12	"	चतुर्थ प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
12.	13	"	तेरहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
13.	15	"	चतुर्थ प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
14.	16	"	एकादश प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
15.	17	"	तेरहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
16.	18	"	एकादश प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
17.	19	"	तेरहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
18.	22	"	चतुर्थ प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
19.	23	परिवहन	सत्ताईसवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
20.	24	"	सत्ताईसवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
21.	25	सामान्य प्रशासन	चतुर्थ प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
22.	26	"	चतुर्थ प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
23.	27	"	चतुर्थ प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
24.	28	गृह	चौबीसवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
25.	30	"	एकादश प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
26.	31	"	तेरहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
27.	33	"	सोलहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
28.	35	"	तेरहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
29.	37	"	एकादश प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
30.	38	"	एकादश प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
31.	39	"	सत्ताईसवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
32.	40	"	एकादश प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
33.	41	"	सोलहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
34.	44	"	बीसवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
35.	45	ऊर्जा	एकादश प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
36.	46	"	एकादश प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
37.	47	"	सोलहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
38.	49	"	सत्ताईसवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
39.	50	"	चौबीसवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
40.	51	"	एकादश प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
41.	54	"	तेरहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
42.	55	जल संसाधन	एकादश प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
43.	56	"	एकादश प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
44.	58	"	एकादश प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
45.	60	"	एकादश प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
46.	61	"	सोलहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
47.	62	"	सत्ताईसवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
48.	63	"	एकादश प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
49.	65	खाद्य नागरिक आपूर्ति	तेरहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा

50.	66	खाद्य नागरिक आपूर्ति	सोलहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
51.	67	"	एकादश प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
52.	68	कृषि	तेरहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
53.	69	"	चतुर्थ प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
54.	70	"	एकादश प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
55.	71	"	चतुर्थ प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
56.	72	"	सोलहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
57.	73	"	चतुर्थ प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
58.	74	सहकारिता	अठारहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
59.	75	"	एकादश प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
60.	76	"	एकादश प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
61.	77	"	एकादश प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
62.	78	"	एकादश प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
63.	80	"	एकादश प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
64.	82	"	एकादश प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
65.	83	वन	चौबीसवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
66.	86	"	अठारहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
67.	91	जनशिकायत निवारण	चतुर्थ प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
68.	92	लोक निर्माण	एकादश प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
69.	93	"	सोलहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
70.	94	"	चतुर्थ प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
71.	95	"	चतुर्थ प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
72.	97	"	चतुर्थ प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
73.	98	जेल	चतुर्थ प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
74.	101	नगरीय प्रशासन एवं विकास	सत्ताईसवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
75.	103	"	सत्ताईसवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
76.	104	"	सत्ताईसवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
77.	106	आवास एवं पर्यावरण	चतुर्थ प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
78.	107	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	सोलहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
79.	108	"	तेरहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
80.	110	"	सत्ताईसवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
81.	111	"	चतुर्थ प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
82.	112	"	एकादश प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
83.	113	"	एकादश प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
84.	114	"	सोलहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
85.	115	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	सत्ताईसवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
86.	117	"	सत्ताईसवां प्रतिवेदन	द्वादश विधान सभा
87.	118	"	चतुर्थ प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
88.	119	"	तेरहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
89.	120	"	चतुर्थ प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
90.	122	सामाजिक न्याय	एकादश प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
91.	124	स्कूल शिक्षा	एकादश प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
92.	126	"	सोलहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
93.	127	"	चतुर्थ प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
94.	128	"	एकादश प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
95.	129	"	चतुर्थ प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
96.	130	"	चतुर्थ प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
97.	131	"	अठारहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
98.	132	"	चतुर्थ प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
99.	135	"	सोलहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
100.	136	"	सोलहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
101.	137	"	सोलहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
102.	138	"	सोलहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
103.	139	"	एकादश प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा

104.	140	स्कूल शिक्षा	एकादश प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
105.	141	"	चतुर्थ प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
106.	143	"	सोलहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
107.	144	आदिम जाति कल्याण	चतुर्थ प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
108.	145	"	एकादश प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
109.	146	महिला एवं बाल विकास	सोलहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा